उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 30.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 30.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 30.05.2025

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों, बस स्टैण्ड में भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 30.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद की पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु व्यापक अभियान चलाया गया।

जनपद के समस्त थानाक्षेत्रों में पुलिस बल द्वारा बैंकों का गहन निरीक्षण किया गया, जिसमें बैंक परिसर में लगे सुरक्षा उपकरणों अग्निशामक यंत्र, अलार्म सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे आदि की कार्यशीलता की जाँच की गई। बैंक के आस-पास खड़े संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की भी सघन चेकिंग की गई।

इसके अतिरिक्त बस स्टैण्ड क्षेत्र में गश्त करते हुए विभिन्न बसों एवं ऑटो वाहनों की तलाशी ली गई एवं संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर आवश्यक पूछताछ की गई। यात्रियों से संवाद स्थापित करते हुए सुरक्षा संबंधी सुझाव लिए गए एवं उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी गई।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो एवं आमजन में सुरक्षा का विश्वास सुदृढ़ हो।

जनपद पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वे किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें तथा शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें।

इसी क्रम में आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

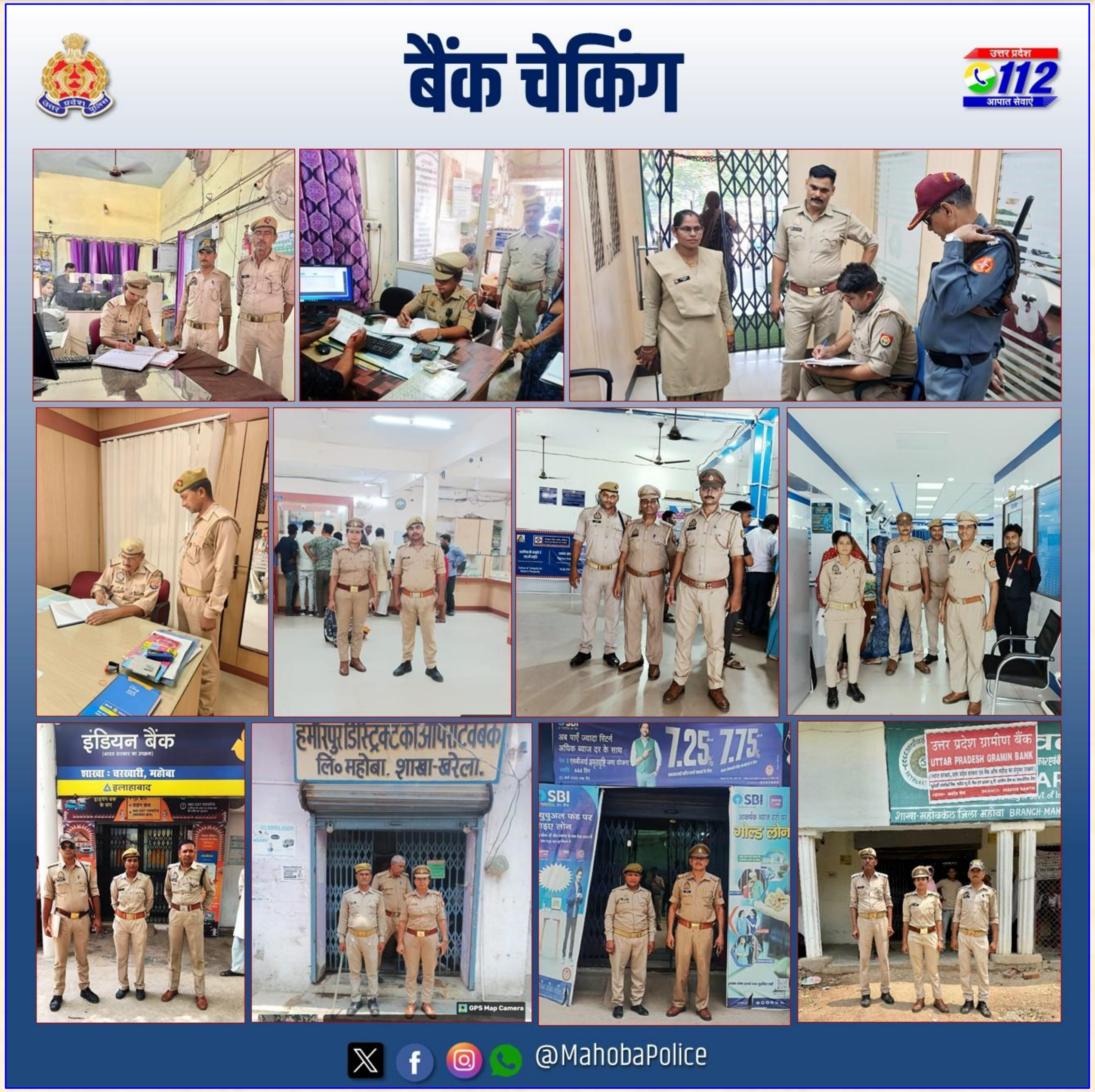

थाना महोबकंठ की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 29.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम गठित की गई।

उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा के नेतृत्व में प्रथम पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त आशीष पुत्र ग्यासीलाल उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम बसरिया थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 प्लास्टिक की बोरी में 20 अदद क्वार्टर देशी शराब झूम ब्रांण्ड नाजायज बरामद करते हुए रामलीला ग्राउण्ड महोबकंठ बहद ग्राम महोबकंठ के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 - 86/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

इसी क्रम में उ0नि0 सतीश कुमार शुक्ल के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त सतेन्द्र सिंह यादव पुत्र भइयालाल उम्र 32 वर्ष निवासी सतौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 झोले में 19 अदद क्वार्टर देशी शराब झूम ब्रांण्ड नाजायज बरामद करते हुए झांसी महोबा हाइवे बस स्टाफ (प्रतिक्षालय) वहद ग्राम महोबकंठ के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 87/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1.आशीष पुत्र ग्यासीलाल उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम बसरिया थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2.सतेन्द्र सिंह यादव पुत्र भइयालाल उम्र 32 वर्ष निवासी सतौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम–

प्रथम पुलिस टीम–

1.उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा 2. का0 धर्वेन्द्र कुमार

द्वितीय पुलिस टीम–

1.उ0नि0 सतीश कुमार 2. हे0का0 विनय कुमार

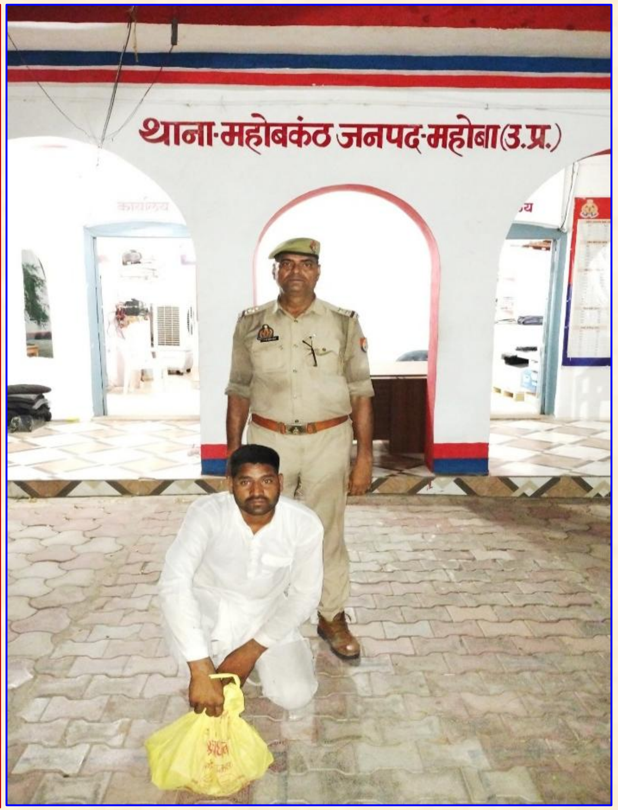

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 30.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गयी एवं प्रस्तावित रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण की तैयारियों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

आज दिनांक- 30.05.2025 को पुलिस लाइन, महोबा में पुलिस अधीक्षक, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी ली गई। परेड के उपरांत परेड का टोलीवार निरीक्षण कर उपस्थित पुलिस कर्मियों को अनुशासित, समरसता एवं एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से टोलीवार ड्रिल की कार्यवाही संपन्न कराई गई।

पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कर्मियों की शारीरिक और मानसिक दृढ़ता हेतु दौड़ भी लगवाई गई, जिससे उनमें ऊर्जा एवं टीम भावना का संचार हो सके। परेड उपरांत अर्दली रूम की कार्यवाही ली गई, जिसमें गार्द रजिस्टरों की गहन जांच की गई एवं संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को उच्च स्तर का अनुशासन बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस भर्ती- 2023 के अंतर्गत चयनित रिक्रूट आरक्षियों के आधारभूत प्रशिक्षण की तैयारियों का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन स्थित आर.टी.सी. बैरक, स्कूल, मेस, परेड ग्राउंड तथा जेटीसी बैरक आदि का बारीकी से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षण के लिए उत्तम गुणवत्ता की सामग्रियों की उपलब्धता तथा उच्च मानकों पर आधारित व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि "प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाली सुविधाएं भविष्य के सशक्त पुलिस बल की नींव हैं, अतः कोई भी समझौता गुणवत्ता के साथ नहीं किया जाएगा।"

इस दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन/नगर श्री दीपक दुबे, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवकुमार, सीए श्री जाकिर हुसैन, पीआरओ श्री बिषय देव बुन्देला सहित परेड के हकदार सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 30.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना श्रीनगर में क्षेत्राधिकारी चरखारी ने की अर्दली रूम बैठक,

विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण व अपराध नियंत्रण को लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश...

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में आज दिनांक-30.05.2025 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकांत गोंड द्वारा थाना श्रीनगर में अर्दली रूम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में थाना श्रीनगर के समस्त विवेचकगण, हल्का प्रभारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान क्षेत्राधिकारी चरखारी ने थाना स्तर पर लंबित विवेचनाओं की गहन समीक्षा की तथा विवेचनाओं के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने अकारण विवेचनाएं लंबित रखने वाले अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए उन्हें जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने की हिदायत दी। साथ ही, निरोधात्मक कार्यवाही, जनशिकायती प्रार्थनापत्रों के त्वरित निस्तारण, NBW/BW निष्पादन, हिस्ट्रीशीटरों, सक्रिय एवं टॉप- 10 अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की समीक्षा की गई।

क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा गया कि थानाक्षेत्र अन्तर्गत रात्रि में प्रमुख चौराहों/तिराहों पर नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध तत्वों की गतिविधियों पर नियंत्रण किया जाए। इसके अतिरिक्त, अवैध शराब, मादक पदार्थों की तस्करी एवं उनके क्रय-विक्रय में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

इस बैठक में प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर श्री अवधेश मिश्रा, निरीक्षक अपराध समेत सभी विवेचक एवं थाना स्टाफ मौजूद रहे।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

नाबालिग से दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹ 20 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

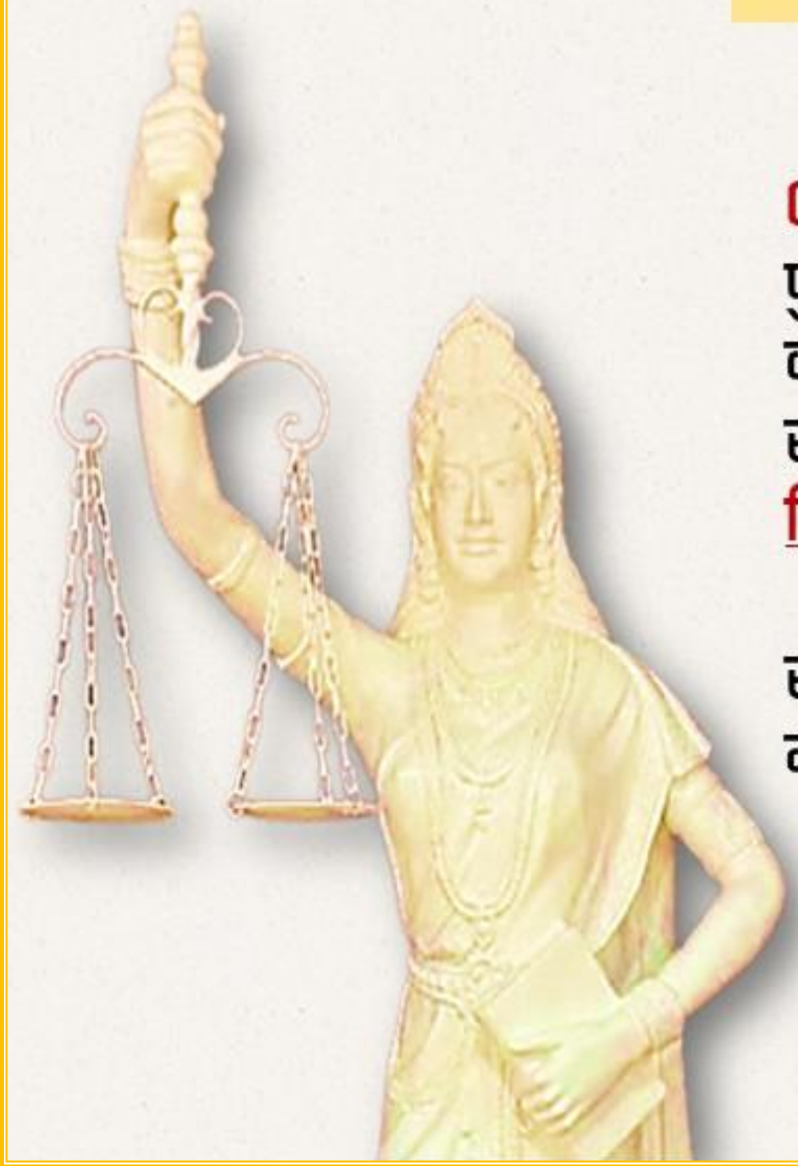

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप विशेष पाक्सो कोर्ट महोबा द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 20 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कबरई में पंजीकृत मु0अ0सं0 63/22 धारा 363/366/376(3) भादवि व 4 पाक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त अमन साहू पुत्र सुरेश साहू नि. मोहल्ला झलकारीबाई नगर थाना कबरई जनपद महोबा को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 20 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पुष्पेन्द्र मिश्रा
विशेष लोक अभियोजक

अमन सिंह
विशेष लोक अभियोजक

कां. ज्ञानेन्द्र सिंह
पैरोकार थाना कबरई

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

शस्त्र अधिनियम के अभियोग में आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन के साथ मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप जे.एम. कोर्ट चरखारी द्वारा शस्त्र अधिनियम के अभियोग में परीक्षणोपरांत नामित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना खरेला में पंजीकृत मु0अ0सं0 347/2016 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त तुलसीदास पुत्र दसैया निवासी सलुहा थाना खरेला जनपद महोबा को जेल में बिताई गयी अवधि व 01 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।

विनय कुमार वर्मा
अभियोजन अधिकारी

आ0. धर्मवीर यादव
पैरोकार थाना खरेला